भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2939
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

2939. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायती राज व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे नए कदमों का ब्यौरा क्या है,

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य, महिला विकास, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और कृषि विकास जैसे क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी नेतृत्व की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार कौन-कौन सी विशेष योजनाएं चला रही है; और

(घ) गांवों के समग्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (घ) पंचायत राज्य का विषय है, और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) निरंतर आधार पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रभावी कामकाज की दिशा में योजनाओं के तहत निधि सहायता के साथ-साथ वित्त आयोगों के तहत अनुदान सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायक और पूरक है।

पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

I. केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं, के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के

माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करना और ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसे अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।

II. पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी), आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करना है, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदायगी और जन कल्याण कार्यों में सुधार के लिए उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित अवार्ड दिए जाते हैं।

III. ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत), जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके अंतर्गत पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन में योगदान देने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है।

ये योजनाएं सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) में कार्यान्वित की जाती हैं, ताकि पंचायती राज प्रणाली को मजबूत किया जा सके और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243घ में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। पंचायती राज मंत्रालय इसके कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। शेष भाग-IX राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होता है।

मंत्रालय अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकों की सुविधा प्रदान करने, ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के साथ जुड़ रहा है। यह पंचायतों में ईडब्ल्यूआर की भूमिका को मजबूत करने, उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। पीआरआई में ईडब्ल्यूआर लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज

में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय ने राज्यों को महिला-केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि आवंटित करने और महिला तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराइयों से निपटने के लिए एड्वाइजरी जारी की हैं।

मंत्रालय पीआरआई की सक्रिय भागीदारी के साथ एसडीजी (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी सहायता के लिए, यह स्वास्थ्य, महिलाओं, बच्चों और कृषि विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विषय-आधारित पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर के नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों में दिए गए प्रशिक्षण के अलावा, आईआईएम और आईआरएमए जैसे उत्कृष्ट संस्थानों में महिला नेताओं सहित जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रम जैसी पहल शुरू की गई है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्तीय सहायता का प्रावधान है, और आरएलबी वर्तमान में पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) पुरस्कारों के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के दो घटक हैं: मूल (अनटाइड) अनुदान और टाइड अनुदान। मूल (अनटाइड) अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, XI अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत आवश्यक सेवाओं के लिए किया जा सकता है। टाइड अनुदान बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाते हैं। मंत्रालय पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) उत्पन्न करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय की स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबाद भूमि के उच्च-सटीकता, उच्च-वियोजन वाले मानचित्र तैयार करना है, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करते हैं।

***